25.10.21	अवलोकन अनुपालित पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)	

(मु० अ०) धौलपुर) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक मु.अ. / आर.टी.आई. / 2021 / 121 दिनांक 5.10.2021 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना व वांछित पत्र कार्यालय में नहीं मिलने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्रांक प-3(22) प्रसु सू०अ०प्र० / 06 दिनांक 02.02.2009 के पैरा 3 के अनुसार नागरिकों को लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार जो उस लोक प्राधिकारी के पास है या उसके नियन्त्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा टिप्पणी के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 14.9.24 द्वारा मु-गोर पत्रांक 1795-99 दिनांक 18.8.24 द्वारा वांछित पत्र [illegible]/77 751 दिनांक 25.4.77 नहीं मिलने के कारण सूचना ~~दी~~ दिया जाना सम्भव नहीं है बताया है। लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है यह सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक 1971 दिनांक 14.9.24 द्वारा दी जा चुकी है। अतः प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

व लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी की प्रति अपीलार्थी को

सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)